

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2014—कार्तिक 29, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

अधि. क्र. 110 एफ 1-3-2012-अठारह-3.—यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्षेत्रों को इंदौर नगर की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने का आशय मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 2012 को प्रकाशित किया गया था. साथ ही दिनांक 6 फरवरी, 2014 को समाचार पत्रों में जाहिर सूचना भी प्रकाशित की गई थी;

और यतः कलेक्टर को प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 405 की उपधारा (2) के अधीन विचार कर लिया गया है;

अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इंदौर नगर की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

#### अनुसूची-एक

इंदौर नगर की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	सम्मिलित की जाने वाली ग्राम पंचायत	सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम	तहसील/जिला	सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नेपानियां	नेपानियां एवं पिपल्याकुमार	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
2.	कनाड़िया	कनाड़िया एवं टिगरियाराव	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
3.	बिचौली हप्पी	बिचौली हप्पी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	बिचौली मर्दाना	बिचौली मर्दाना	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
5.	मुंडला नायता	मुंडला नायता	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
6.	पलदा	पलदा	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
7.	बिलोबी	बिलोबी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
8.	बिलावली	बिलावली एवं फतनखेड़ी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
9.	कैलाद करताल	कैलाद करताल	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
10.	निहालपुरा मुंडी	निहालपुरा मुंडी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
11.	हुकुमा खेड़ी	हुकुमा खेड़ी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
12.	सुखनिवास	सुखनिवास	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
13.	अहीरखेड़ी	अहीरखेड़ी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
14.	छोटाबागड़दा	छोटाबागड़दा	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
15.	टिगरिया बादशाह	टिगरिया बादशाह	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
16.	रेवती	रेवती एवं बरदरी	सांवेर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
17.	भौरासला	भौरासला	सांवेर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
18.	कुमेरडी	कुमेरडी	सांवेर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
19.	भानगढ़	भानगढ़ एवं शकरखेड़ी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
20.	तलावली चांदा	तलावली चांदा	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
21.	अरण्डिया	अरण्डिया एवं मयाखेड़ी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
22.	लसुडिया मोरी	लसुडिया मोरी	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा
23.	बड़ा बागड़दा	बड़ा बागड़दा	इंदौर	ग्राम की संपूर्ण सीमा

### अनुसूची-दो

अनुसूची-एक में दर्शाये गये क्षेत्र सहित नगरपालिक निगम, इंदौर की संशोधित सीमा, अधिसूचना प्रकाशन उपरंत निम्नानुसार होगी:—

**उत्तर की ओर**—ग्राम जख्याए, मगरखेड़ा, बोल्याखेड़ी एवं भाग्या.

**दक्षिण की ओर**—राऊ, मांचल, मोरोद एवं रालामंडल.

**पूर्व की ओर**—झलारिया, आम्बामोलाए, बड़ियाकीमा, देव गुराड़िया एवं दुधिया.

**पश्चिम की ओर**—जम्बुड़ी हप्पी, नैनोद, बांक, नावदापंथ, सिंदोड़ा, पालाखेड़ी, बढानियां एवं लिम्बोढागिरी.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

अधि. क्र. 110 एफ 1-3-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110 एफ 1-3-2012-अठारह-3, दिनांक 20 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2014

Not. No. 110-F-1-3-2012-XVIII-3.—WHEREAS, the intention to include the certain areas within the limits of Indore Town was published in the Madhya Pradesh Gazette on 17th February, 2012 under sub-section (1) of Section 405 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) as well as the Public Notice was also published in local Newspapers on 6th February, 2014;

AND WHEREAS, the Governor has considered the objections submitted to the Collector under sub-section (2) of Section 405 the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 405 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the area as specified in Schedule-I below within the limits of Indore Town, namely:—

SCHEDULE-1

The areas of the villages to be included within the limits of Indore Town shall be as follows:—

S. No.	Name of Village Council to be included	Name of Villages to be included	Tehsil	Area to be included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nipaniya	Nipaniya and Pilaliya Kumar	Indore	Whole area of Village
2.	Kanariya	Kanariya and Tigriya Rao	Indore	Whole area of Village
3.	Bicholi Hapsi	Bicholi Hapsi	Indore	Whole area of Village
4.	Bicholi Mardana	Bicholi Mardana	Indore	Whole area of Village
5.	Mundla Nayta	Mundla Nayta	Indore	Whole area of Village
6.	Palda	Palda	Indore	Whole area of Village
7.	Limbodi	Limbodi	Indore	Whole area of Village
8.	Bilavali	Bilavali and Phatankheri	Indore	Whole area of Village
9.	Kailod Kartal	Kailod Kartal	Indore	Whole area of Village
10.	Nihalpura Mundi	Nihalpura Mundi	Indore	Whole area of Village
11.	Hukmakheri	Hukmakheri	Indore	Whole area of Village
12.	Sukhnivas	Sukhnivas	Indore	Whole area of Village
13.	Aahirkheri	Aahirkheri	Indore	Whole area of Village

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Chota Bangarda	Chota Bangarda	Indore	Whole area of Village
15.	Tigriya Badshah	Tigriya Badshah	Indore	Whole area of Village
16.	Revati	Revati and Bardari	Sanver	Whole area of Village
17.	Bhournasla	Bhournasla	Sanver	Whole area of Village
18.	Kumerdi	Kumerdi	Sanver	Whole area of Village
19.	Bhangarh	Bhangarh and Shakarkheri	Indore	Whole area of Village
20.	Talawali Chanda	Talawali Chanda	Indore	Whole area of Village
21.	Aarandiya	Aarandiya and Mayakheri	Indore	Whole area of Village
22.	Lasuriya Mori	Lasuriya Mori	Indore	Whole area of Village
23.	Bara Bangarda	Bara Bangarda	Indore	Whole area of Village

#### SCHEDULE-2

Subsequent to the Gazette Notification, the revised limits of Municipal Corporation of Indore including the areas shown in Schedule-1 will be as under:—

**In the North**—Jakhya, Magarkhera, Bolyakheri, Bhagya.

**In the South**—Rau, Machal, Morod, Ralamandal.

**In the East**—Jhalariya, Aambamola, Bariya Keema, Dev Guradiya, Dudhiya.

**In the West**—Jamburi Hapsi, Nainod, Bank, Navdapanth, Sindora, Palakhedi, Budaniya, Limbodagiri.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Dy. Secy.